

**झारखण्ड सरकार,  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

**अधिसूचना**

राँची, दिनांक- 21 जुलाई, 2018

संख्या- 3/पद0-01(ख)-13/2014 का.- 5477 / संयुक्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री रविशंकर वर्मा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-526/03, गृह जिला- पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या- 3/पद0-01(ख)-13/2014 का.- 5478 / अपर समाहर्ता, गढ़वा के पद पर पदस्थापित श्री राधेश्याम प्रसाद, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-835बी/03, गृह जिला- नवादा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या- 3/पद0-01(ख)-13/2014 का.- 5479 / भूमि सुधार उप समाहर्ता, सरायकेला - खरसावा के पद पर पदस्थापित श्री दीपू कुमार, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला- गिरिडीह) की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक इन्हें अवर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. सम्बंधित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से अधिसूचित पद पर योगदान सुनिश्चित करेंगे।
3. सम्बंधित नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थानांतरित/पदस्थापित पदाधिकारी के प्रभारान्तरण की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



(एच0 के0 सुधौंशु)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 3/पद0-01(ख)-13/2014 का0 5480 / राँची, दिनांक- 21 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 3/पद0-01(ख)-13/2014 का0 5480 / राँची, दिनांक- 21 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव कोषांग, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/उप सचिव, प्रभारी (प्रशाखा-5 एवं 6) कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।